



कमिश्नरिट वाराणसी



प्रेस नोट

दिनांक- 13-01-2026

“ऑपरेशन कनविकशन”

थाना- रोहनियाँ

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के क्रम में कमिश्नरिट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म से सम्बन्धित प्रकरण में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-02, वाराणसी द्वारा **फिरोज मोहम्मद उर्फ पप्पू को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविकशन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरिट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नरिट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना रोहनियाँ में पंजीकृत मु०अ०सं० 366/2022 धारा 376AB, 354 भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट में आज दिनांक 13.01.2026 को मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-02, वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर फिरोज मोहम्मद उर्फ पप्पू पुत्र शेख रजनू निवासी फरीदपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी को **20 वर्ष कठोर कारावास एवं 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरिट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



श्री संतोष कुमार सिंह,
विशेष लोक अभियोजक,
पॉक्सो-02, वाराणसी।



उ०नि० विनोद कुमार
विश्वकर्मा
विवेचक



का० धनंजय सिंह,
पैरोकार थाना रोहनियाँ



म०का० अंशु पाण्डेय,
कोर्ट मोहरिर